

साक्षर भारत मिशन के अन्तर्गत संचालित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण

साक्षर भारत मिशन योजनान्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम लागू किए जायेंगे:-

१. बेसिक साक्षरता
२. रेजीडेन्ट इन्स्ट्रक्टर
३. रेजीडेन्सियल कैम्पस
४. पार्ट रेजीडेन्सियल कैम्पस
५. बेसिक एजूकेशन प्रोग्राम
६. वोकेशनल एजूकेशन प्रोग्राम (स्किल डेवेलपमेण्ट)
७. सतत शिक्षा कार्यक्रम/लोक शिक्षा केन्द्र

बेसिक साक्षरता

- उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण में बेसिक साक्षरता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें १५+ वयवर्ग के निरक्षरों की पहचान कर बेसिक साक्षरता (कार्यात्मक साक्षरता) प्रदान की जायेगी।
- प्रत्येक ८ निरक्षरों को एक स्वयं सेवक ६ माह में कक्षा-३ तक की शिक्षा प्रदान करेगा।

बेसिक साक्षरता के मानक:-

पढ़ना :

- ३० शब्द प्रति मिनट की गति से बोलकर पढ़ना।
- ३५ शब्द प्रति मिनट की गति से चुपचाप पढ़ना।
- रास्ते के संकेतों, सरल हिदायतों को पढ़ सकना।
- अपने काम-काज और रहन-सहन के सम्बन्ध में सरल रूप से लिखे संदेशों को पढ़ सकना।

लिखना :

- सात शब्द प्रति मिनट की गति से नकल करना।
- पांच शब्द प्रति मिनट की गति से इमला लेना।
- ठीक-ठीक दूरी पर तथा सीधी पंक्ति में लिखना।
- रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाले सरल आवेदन पत्र तथा चिट्ठी आदि लिखना।

अंक ज्ञान :

- १-१०० अंको को पढ़ना तथा लिखना।
- जोड़, घटाने, गुणा तथा भाग के सरल एवं लघु स्तर के हिसाब करना।
- भार, नाप, तौल, रूपये, पैसे, दूरी आदि इकाइयों का काम चलाने लायक ज्ञान होना।
- अनुपात तथा ब्याज की साधारण जानकारी तथा उनका अपने कामकाज और रहन-सहन में प्रयोग।

लोक शिक्षा केन्द्र की स्थापना

- लोक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से बेसिक साक्षरता के कार्यक्रम संचालित किए जायेंगे, जिसमें चिन्हित निरक्षरों को पढ़ाने एवं क्षेत्र में स्वयं सेवक द्वारा चिन्हित निरक्षरों को पढ़ाये जाने का अनुश्रवण भी किया जायेगा।
- इन केन्द्रों के माध्यम से पंचायत क्षेत्र के सभी को शिक्षा, विकास एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता, पोषण एवं स्वास्थ्य, पानी की बचत, स्वच्छ पेयजल आदि की जानकारियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी।
- साक्षर भारत योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक लोक शिक्षा केन्द्र की स्थापना की जायेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना है, जिससे नवसाक्षरों को अपनी साक्षरता बनाये रखने एवं पंचायत स्तर पर शिक्षित समाज तैयार हो सके।
- लोक शिक्षा केन्द्रों को इस प्रकार विकसित किया जायेगा कि ग्राम पंचायत स्तर पर विकास सूचना की खिड़की के रूप में विकसित हो सके एवं पंचायत स्तर पर उन सभी गतिविधियों का केन्द्र बने जो शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है।